

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 1992 के बाद फ्री-होल्ड आधार पर आबंटित किए गए फ्लैटों के संबंध में क्रेता/सामान्य मुख्तारनामाधारी (जी.पी.ए. होल्डर) के नाम हस्तांतरण विलेख के निष्पादन की योजना ।

THE SCHEME OF EXECUTION OF CONVEYANCE DEED IN THE NAME OF PURCHASER/GPA HOLDER IN RESPECT OF FLAT ALLOTTED BY DDA ON FREEHOLD BASIS AFTER 1992.

भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन में, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने, सन् 1992 के बाद दि. वि.प्रा. द्वारा फ्री-होल्ड आधार पर आबंटित किए गए फ्लैटों के संबंध में क्रेता/सामान्य मुख्तारनामाधारी (जी.पी.ए. होल्डर) के नाम हस्तांतरण विलेख निष्पादित करने का निर्णय लिया है । अब यह निर्णय लिया गया है कि क्रेता/सामान्य मुख्तारनामाधारी भी योजना के अनुसार जुर्माने के रूप में वर्तमान मूल परिवर्तन प्रभारों की 66-2/3% राशि का भुगतान करके अपने नाम में हस्तांतरण विलेख निष्पादित करा सकते हैं, जिसका विवरण इस विवरणिका में दिया गया है । विवरणिका में दी गई दरें अन्तिम आधार पर हैं और अंतिम दरें शहरी विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जाएंगी । आवेदकों को परिवर्तन प्रभार में मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित किए जाने वाले परिवर्तन प्रभार में यदि कोई अंतर हो तो उस अंतर की राशि का भुगतान करना होगा । आवेदकों को अनुबंध 'क' में दिए गए निर्धारित प्रारूप में परिवर्तन प्रभारों में अंतर का भुगतान करने का एक वचन-बंध जमा करना होगा ।

In pursuance of orders issued by the Govt. of India, Delhi Development Authority has decided to execute the conveyance deed in the name of Purchaser/GPA holders in respect of flats allotted by DDA on freehold basis after 1992. It has now been decided to allow purchaser/GPA holder also on payment of 66-2/3% as penalty of the current basis conversion charges to execute the conveyance deed in their favour as per the scheme, details of which have been enumerated in this brochure. The rates indicated in the brochure are on provisional basis and the final rates will be determined by the Ministry of Urban Development. The applicants shall have to pay the difference in conversion charges if any as may be finally fixed by the Ministry. The applicants shall have to submit an undertaking for the payment of difference in conversion charges in the prescribed format as given in annexure "A".

शहरी विकास मंत्रालय ने उन मामलों में सामान्य मुख्तारनामाधारी/विक्री-अनुबंधधारियों के पक्ष में हस्तांतरण विलेख निष्पादित करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है, जिनमें आवेदक(कों) ने केवल 1.4.1992 से 30.9.2001 तक लेनदेन किया है ।

It has been decided by the ministry of Urban Development to allow execution of conveyance deed in favour of the GPA/Agreement to Sell Holder in respect of cases where transaction has been made by the applicant(s) w.e.f. 1.4.1992 till 30.9.2001 only.

आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि वे आवेदन फार्म भरने के लिए नीचे दिये गए विवरण के अनुसार योजना की मुख्य विशेषताओं को पढ़ लें ।

The applicants are advised to carefully go through salient features of the scheme as detailed below for the purpose of filling application form.

योजना की मुख्य विशेषताएं :

SALIENT FEATURES OF THE SCHEME

1. इस योजना में निम्नलिखित फ्लैट आते हैं :-
दि.वि.प्रा. द्वारा सन् 1992 के बाद फ्री-होल्ड आधार पर आबंटित किए गए जनता, ई.एच.एस., नि.आव., म.आव., उ.आव., स्व वित्त योजना के फ्लैट । आरम्भ में क्रिसया खरीद आधार पर आबंटित किए गए फ्लैट इस योजना में शामिल नहीं हैं ।
2. दि.वि.प्रा. द्वारा आबंटित फ्लैटों की प्रत्येक श्रेणी के संबंध में फ्री-होल्ड आधार पर हस्तांतरण विलेख के निष्पादन के लिए एककालिक प्रभार और जुर्माना अनुबंध 'ख' और 'ग' में दर्शाया गया है ।

1. The scheme covers the following flats:-
Janita, EHS, LIG, MIG, HIG, SFS flats allotted by DDA after 1992 on freehold basis. The allotments initially made on Hire Purchase basis are not covered under this scheme.

2. The one time charges and penalty for execution of conveyance deed on freehold basis are indicated in Annexure B & C in respect of each category of flat allotted by DDA.

- | | |
|---|--|
| <p>3. फ्री-होल्ड आधार पर हस्तांतरण विलेख के निष्पादन के लिए निर्धारित दस्तावेजों के बिना प्राप्त आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा ।</p> | <p>3. The application for execution of Conveyance deed on freehold basis shall not be entertained unless accompanied by prescribed documents.</p> |
| <p>4. आवेदक को हस्तांतरण विलेख के निष्पादन से पूर्व, उनको जारी मांग एवं आबंटन-पत्र में उल्लिखित ब्याज सहित अद्यतन सेवा प्रभार अथवा भूमि प्राशुल्क के 5 प्रतिशत की दर से सेवा प्रभार के पूंजीगत मूल्य, यदि पहले भुगतान नहीं किया गया है, का भुगतान करना होगा । तथापि यदि कालोनी/ योजना की सेवाएं दिल्ली नगर निगम को हस्तांतरित नहीं की गई हैं तो तब यदि पहले पूंजीगत सेवा प्रभार का भुगतान नहीं किया गया हो तो आवेदक को भूमि प्राशुल्क के 5 प्रतिशत की दर से सेवा प्रभार का भुगतान करना होगा ।</p> | <p>4. The applicant will have to pay up to date service charges with interest or capitalized value of service charges @ 5% of the land premium as indicated in the demand cum allotment letter, if not paid earlier, issued to the allottee of flat before execution of conveyance deed. However, in case the services of the colony/ scheme are not transferred to the MCD then the applicant would be required to pay service charges @ 5% of the land premium, to cover future dues, if capitalized service charges are not paid earlier.</p> |
| <p>5. हस्तांतरण विलेख का निष्पादन केवल उन फ्लैटों के लिए लागू होगा जो आवासीय उद्देश्य के लिए जारी किए गए हैं ।</p> | <p>5. The execution of Conveyance Deed shall be applicable only for the flats which have been allotted as residential.</p> |
| <p>6. बंधक रखे गए फ्लैटों के मामले में बंधकग्राही/ वित्तीय संस्थानों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र जमा करने पर ही हस्तांतरण विलेख के निष्पादन की अनुमति होगी ।</p> | <p>6. In cases of mortgaged flats, execution of conveyance deed would be allowed on submission of no objection certificate(s) from the mortgagee/financial institutions.</p> |
| <p>7. जिन मामलों में आबंटिती द्वारा पहले ही हस्तांतरण विलेख स्टाम्पित करवा लिया गया है परन्तु इसी बीच सामान्य मुख्तारनामा/बिक्री करार आधार पर उक्त फ्लैट बेच दिया गया हो तो आवेदक को दि.वि.प्रा. द्वारा जारी नए हस्तांतरण विलेख दस्तावेजों के निष्पादन के लिए उनकी स्टाम्प सहायता कार्यालय से स्टाम्पिंग करानी होगी जिसके लिए स्टाम्प शुल्क का भुगतान आवेदक को करना होगा ।</p> | <p>7. In cases where conveyance deed have already been got stamped by the allottee but in the meanwhile the said flats have been sold on GPA/agreement to sale basis, the applicant shall have to get fresh conveyance deed papers issued from D.D.A. for stamping from the office of Collector of Stamps for execution for which stamp duty shall be borne by him.</p> |
| <p>8. फ्लैट के स्वत्वाधिकार से संबंधित कोई विधिक विवाद होने के मामले में, जब तक विधिक विवाद का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी ।</p> | <p>8. In case of any legal dispute relating to title of the flat, conversion shall not be allowed until the legal disputes is settled.</p> |
| <p>9. री-एंटर्ड फ्लैटों के मामले में हस्तांतरण विलेख के निष्पादन की अनुमति केवल तभी होगी जब री-एंट्री नोटिस वापिस ले लिया गया हो और यथा लागू प्रभार के भुगतान पर आबंटन बहाल कर दिया गया हो ।</p> | <p>9. In case of re-entered flats, execution of conveyance deed would be allowed only when re-entry notice has been withdrawn and the allotment restored subject to charges as applicable.</p> |
| <p>10. मूल आबंटिती और मुख्तारनामाधारी के बीच कोई विवाद होने के मामले में, विवाद का निपटारा होने के बाद ही सामान्य मुख्तारनामाधारी/क्रेता के नाम में हस्तांतरण विलेख के निष्पादन के आवेदन पर विचार किया जाएगा ।</p> | <p>10. In case of any dispute between original allottee and power of attorney holder, application for execution of conveyance deed in the name of GPA Holder/purchaser would be entertained only after the dispute is settled.</p> |

11. जिन मामलों में पट्टाकर्ता के पास नामांतरण अथवा प्रतिस्थापन के लिए आवेदन-पत्र लंबित है, उन मामलों में हस्तांतरण विलेख के निष्पादन की अनुमति आवश्यक नामांतरण/प्रतिस्थापन करने के बाद ही होगी।
12. फ्री-होल्ड आधार पर हस्तांतरण विलेख का निष्पादन उन मामलों में अनुमत होगा जिसमें आवंटिती ने फ्लैट का कब्जा दे दिया हो।
- (क) हस्तांतरण विलेख को फ्री-होल्ड में निष्पादित करने का आवेदन उस व्यक्ति द्वारा किया गया हो, जिसको फ्लैट के हस्तांतरण (विक्रय/अन्तरण) के लिए आवंटिती द्वारा पावर ऑफ अटॉर्नी/बिक्री करार दिया गया हो।
- (ख) फ्लैट के वास्तविक कब्जे का प्रमाण उस व्यक्ति के पक्ष में प्रस्तुत किया जाना है, जिसके नाम पर फ्री-होल्ड आधार पर हस्तांतरण विलेख का निष्पादन कराया जाना है।
- (ग) जिन मामलों में क्रमिक मुख्तारनामे हैं, उन में हस्तांतरण विलेख के निष्पादन की अनुमति उनके तथ्यों के सत्यापन के बाद ही दी जाएगी, बशर्ते कि फ्लैट के मूल आवंटिती का अंतिम मुख्तारनामाधारी/क्रेता के साथ संबंध स्थापित हो जाए और मुख्तारनामे की साक्षात्कृत प्रतियां प्रस्तुत कर दी गई हों।
13. फ्री-होल्ड आधार पर हस्तांतरण विलेख के निष्पादन की योजना ऐच्छिक है।
14. जुर्माने/परिवर्तन प्रभारों इत्यादि का मॉडल आफलन अनुबंध 'ख' एवं 'ग' में दिया गया है।
15. यदि सम्पत्ति का दुरुपयोग किया जा रहा हो अथवा उस पर कोई अनधिकृत निर्माण हो, तो आवेदक को अनुबंध 'घ' में दिए गए विवरणों के अनुसार अतिरिक्त प्रभार का भुगतान करना होगा।
16. यथा लागू अपेक्षित जुर्माने की राशि 200/- रु० के कार्रवाई शुल्क के साथ आवेदन फार्म जमा कराते समय जमा करनी होगी।
17. भुगतान दि.वि.प्रा. (आवास) के पक्ष में दिल्ली में देय अधिमानतः भुगतान आदेश, बैंक ड्राफ्ट द्वारा करना होगा। भुगतान की राशि अगले पूरे रुपये में हो। भुगतान निर्धारित चालान में
11. In cases where applications for mutation or substitution are pending with the lessor, execution of conveyance deed would be allowed only after the necessary mutation/substitution has been carried out.
12. The execution of conveyance deed on freehold basis shall be allowed in the cases where allottee has parted with possession of the flat.
- a) Application for execution of conveyance deed into freehold shall be made by the person holding power of attorney/agreement to sell from the allottee to alienate (sale/transfer) the flat.
- b) Proof of physical possession of the flat in favour of the person in whose name execution of conveyance deed is being sought on freehold basis shall be submitted.
- c) Where there are successive power of attorneys, execution of conveyance deed will be allowed after verifying the factum of possession provided that the linkage of original allottee of the flat with the last power of attorney/purchaser is established and attested copies of relevant documents are submitted.
13. The scheme of execution of conveyance deed on freehold basis is optional.
14. Model tabulation of calculating the penalty/ conversion charges etc. have been given in the Annexure 'B' & 'C'
15. In case the property is being misused or there is any unauthorized construction, the applicants shall be required to pay the additional charges as per details given in Annexure 'D'
16. The requisite penalty as applicable along with process fee of Rs. 200/- are required to be deposited at the time of submission of application form.
17. Mode of remittances shall be preferably by pay order, bank draft payable at Delhi in the name of DDA (Housing). The amount of remittances has to be rounded off to the next rupee. The payment is to be made through

और चार प्रतियों के द्वारा किया जाएगा । आवेदन फार्म और जुर्माना राशि जमा कराने के पश्चात आवेदक बैंक/ 'डी' ब्लॉक, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली स्थित दि.वि.प्रा. के काउंटर से पावती ले लें । चालान की प्रति उनके द्वारा किए गए भुगतान का भविष्य में प्रमाण होगी ।

prescribed challan and in quadruplicate. After depositing the application form and penalty applicants must ensure to obtain an acknowledgement from the bank/counter of DDA at 'D' Block, Vikas Sadan, INA, New Delhi together with a copy of the challan to serve as proof of payment for their future references.

टिप्पणी: इस विवरणिका में अद्यतन और सही सूचना देने का हर संभव प्रयास किया गया है । यदि इन सब के बावजूद भी जनता को विवरणिका की छपाई में कोई त्रुटि अथवा भूल का पता लगे जो वह उसे संशोधित करने के लिए लिखित रूप में आयुक्त (आवास) की जानकारी में लाएं । दिल्ली विकास प्राधिकरण को किसी प्रशासनिक/निति संबंधी निर्णय अथवा किसी अन्य कारण से आवश्यकतानुसार इस विवरणिका में निर्दिष्ट किसी भी व्यवस्था को जोड़ने, संशोधन करने, प्रतिस्थापित करने अथवा समाप्त करने का पूर्ण अधिकार है ।

Note : Every possible step has been taken to give up to date and correct information in this Brochure. If in spite of all this, any error or omission in the printing of the brochure is detected by the concerned members of public, they should immediately bring the same to the notice of the Commissioner (Housing) in writing for rectification. Delhi Development Authority reserves unto itself the right to add, modify, substitute or delete any stipulation as contained in this Brochure which may for any administrative/ policy decision or for any other reason whatsoever become necessary.

श्री-होल्ड आधार पर हस्तांतरण विलेख के निष्पादन के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की पद्धति

निर्धारित आवेदन फार्म सहित विवरणिका 'डी' ब्लॉक, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली स्थित दि.वि.प्रा. के काउंटर से 100/- रु० का भुगतान करके प्राप्त की जा सकती है। डाक द्वारा विवरणिका मंगाने के इच्छुक दिल्ली से बाहर के आवेदक 125/- रु० का बैंक ड्राफ्ट भेजें, जो दि.वि.प्रा. के पक्ष में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, विकास सदन, नई दिल्ली में देय हो।

आवेदको को सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि दि.वि.प्रा. द्वारा 1992 के पश्चात श्री-होल्ड आधार पर आवंटित फ्लैटों के संबंध में क्रेता/सामान्य मुख्तारनामाधारी के नाम में हस्तांतरण विलेख के निष्पादन के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त किया गया है और जुर्माने/वर्तमान मूल परिवर्तन प्रभारों का भुगतान करने पर निर्धारित दस्तावेजों के साथ भरा गया है। सभी तरह से पूर्ण आवेदन फार्म, वर्तमान मूल परिवर्तन प्रभारों के 66-2/3% की दर से निर्धारित जुर्माने के साथ दि.वि.प्रा. के 'डी' ब्लॉक, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली स्थित काउंटर पर जमा कराया जा सकता है। यदि आवेदक जुर्माने की राशि नकद रूप में जमा कराना चाहता है, तो यह राशि विकास सदन स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, में जमा करानी होगी।

यदि कोई आवेदन-पत्र किसी भी रूप में अधूरा या दोषपूर्ण पाया जाएगा तो आवेदक को 30 दिन की अवधि के अंदर आवेदन-पत्र के साथ संलग्न न किए गए दस्तावेज लगाने और दोषों को दूर करने के लिए अवसर दिया जाएगा। निर्धारित अवधि के अंदर आवेदक द्वारा दोषों को ठीक न किए जाने पर आवेदन-पत्र रद्द माना जाएगा। जो भी आवेदन पत्र ठीक होंगे उन सभी को निर्धारित औपचारिकताएं पूरा होने की तारीख से 90 दिन के अंदर निपटा दिया जाएगा। हस्तांतरण विलेख उस आवेदक/व्यक्ति जिसके नाम हस्तांतरण विलेख के निष्पादन की इच्छा व्यक्त की गई है, के पास पंजीकृत डाक द्वारा भेज दिया जाएगा। उसके बाद प्राप्तकर्ता को इसे स्टाम्प कलेक्टर से स्टाम्पित करवाना होगा और इसके प्राप्त होने के 45 दिनों के अंदर इसे 'डी' ब्लॉक, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली स्थित दि.वि.प्रा. के काउंटर पर प्रस्तुत करना होगा। स्टाम्प कलेक्टर से विधिवत हस्तांतरण विलेख की प्राप्ति पर, निष्पादन के लिए एक तिथि दी जाएगी। उसके बाद प्राप्तकर्ता को हस्तांतरण विलेख को संबंधित सब-रजिस्ट्रार के यहां पंजीकृत कराना होगा। स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण प्रभारों का वहन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसके नाम हस्तांतरण विलेख का निष्पादन करने की अनुमति दी गई है।

यदि आवेदक उस व्यक्ति-जिसके नाम हस्तांतरण विलेख का निष्पादन कराने की इच्छा व्यक्त की गई है, को 90 दिनों के अंदर हस्तांतरण विलेख प्राप्त नहीं

PROCEDURE FOR SUBMISSION OF APPLICATION FOR EXECUTION OF CD ON FREEHOLD BASIS.

The brochure along with the prescribed application form will be available for sale on payment of Rs. 100/- at DDA counter at 'D' Block, Vikas Sadan, INA, New Delhi, Outstation applicants desirous of obtaining brochure by post may remit an amount of Rs. 125/- by bank draft favouring DDA (Housing) payable at Central Bank of India, Vikas Sadan at New Delhi.

Applicants are advised to ensure that the application form for execution of CD in the name of purchaser/GPA holder in respect of flats allotted by DDA on freehold basis after 1992 are procured and filled along with the prescribed documents on payment of the penalty/current basic conversion charges. The application form duly completed in all respect along with prescribed penalty @ 66-2/3% of the current basic conversion charges may be deposited at DDA Counter, at 'D' Block, Vikas Sadan, INA, New Delhi. However, in case the applicant intends to deposit the penalty amount in cash, the amount shall be deposited with Central Bank of India at Vikas Sadan.

If any application is found incomplete or defective in any manner, the applicant shall be afforded an opportunity to furnish the prescribed documents not enclosed with the application and to remove the defects within a period of 30 days. On the failure of the applicant to remove the defects within the period specified, the application shall be deemed to have been rejected. Application found in order will be disposed of within a period of 90 days from the date on which the prescribed formalities are completed. Conveyance deed shall be sent to the applicant/person in whose name execution of conveyance deed is sought by registered post. The recipient shall then get it stamped from Collector of Stamps and submit it within 45 days from the receipt thereof at the specified counter located at 'D' Block, Vikas Sadan, INA, New Delhi. On receipt of the conveyance deed duly stamped from the Collector of Stamps, a date will be given for execution. Thereafter, the recipient shall get the conveyance deed registered with the concerned sub-registrar. Stamp duty and registration charges shall be borne by the person in whose favour the execution of conveyance deed is allowed.

In case the conveyance deed is not received by the applicant/person in whose favour execution of conveyance deed, has been sought within a period of

होता है तो वह योजना के नोडल अधिकारी, दिल्ली विकास प्राधिकरण के आवास विभाग के निदेशक से सार्वजनिक सुनवाई के दिनों में अपराह्न 2.30 बजे से अपराह्न 5.30 बजे तक सम्पर्क कर सकता है।

90 days, he/she may contact the Nodal Officer for the scheme, concerned Director of Housing of Delhi Development Authority on public hearing days (Monday & Thursday from 2.30 PM to 5.30 PM).

आवेदन के लिये दायर होकर करने वाले दस्तावेज
DOCUMENTS REQUIRED TO BE SUBMITTED

आवेदक को आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :-
The applicant shall be required to furnish the following documents along with the application form:-

- (क) निर्धारित फार्म में नोटरी पब्लिक/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत साक्ष्यांकित वचनबंध पत्र। (अनुबंध 'क')
Undertaking in prescribed format duly attested by Notary Public/1st class Magistrate. (Annexure 'A')
- (ख) निर्धारित फार्म में नोटरी पब्लिक/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत साक्ष्यांकित वचनबंध पत्र। (अनुबंध 'ड')
Undertaking in prescribed format duly attested by Notary Public/1st class Magistrate. (Annexure 'E')
- (ग) निर्धारित फार्म में नोटरी पब्लिक/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत साक्ष्यांकित शपथ पत्र। (अनुबंध 'च')
Affidavit in prescribed format duly attested by Notary Public/1st class Magistrate. (Annexure 'F')
- (घ) निर्धारित फार्म में नोटरी पब्लिक/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत साक्ष्यांकित क्षतिपूर्ति वचनबंध पत्र।
(अनुबंध 'छ')
indemnity bond in prescribed format(s) duly attested by Notary Public/1st class Magistrate. (Annexure 'G')
- (ङ) नोटरी पब्लिक/राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत साक्ष्यांकित विक्रय करार की प्रति सहित मुख्तारनामे की प्रति (जहाँ आवेदन पत्र अटनी द्वारा दिया गया हो)
Copy of POA(s) along with copy of Sale Agreement (where application is made by attorney) duly attested by Notary Public/Gazetted Officer.
- (च) जिस व्यक्ति के नाम परिवर्तन करवाना है, उसका वास्तविक कब्जे का प्रमाण, जैसे-कब्जा पत्र की पर्ची/राशन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/परिचय पत्र आदि की प्रतिलिपि, जो नोटरी पब्लिक/राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत साक्ष्यांकित होनी चाहिए।
Proof of physical possession by the person in whose name the conversion is sought viz. copy of possession letter/slip/ration card/passport/driving licence/identity card etc. duly attested by Notary Public/Gazetted Officer.
- (छ) जिस व्यक्ति के पक्ष में हस्तांतरण विलेख निष्पादित होना है, उस व्यक्ति का एक पासपोर्ट आकार का फोटो, 4 साक्ष्यांकित नमूना हस्ताक्षर जो नोटरी पब्लिक/राजपत्रित अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित हों (अनुबंध-ज)
1 passport size photographs with 4 attested specimen signatures of the person in whose favour execution of conveyance deed is sought duly attested by Notary Public/Gazetted Officer. (Annexure 'H')
- (ज) नोटरी पब्लिक/राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत साक्ष्यांकित बंधकदार (बंधकदारों) के अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्रों) की प्रतिलिपि।
Copy of NOC(s) from the mortgagee (s) duly attested by Notary Public/Gazetted Officer.
- (झ) पंजीकृत सेवा प्रभारों के भुगतान का विवरण (अनुबंध-'झ')
Details of payment of capitalized service charges. (Annexure 'I')

अनुबंध "क"
Appendure 'A'

"वचन-बंधपत्र"
UNDERTAKING

(यह वचन-बंधपत्र उस व्यक्ति द्वारा दिया जाए, जिसके पक्ष में परिवर्तन किया जाना है; वह वचन-बंधपत्र 10/- रुपये के नॉन-जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर हो और इसे नोटरी पब्लिक/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से दिये गये रूप से साक्षात्कृत करवाया जाए।

(To be submitted by person in whose favour execution of conveyance deed is sought on non-judicial stamp paper of Rs. 10/- duly attested by Notary Public/First Class Magistrate).

मैं सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी
श्री निवासी

एतद्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक निम्नलिखित वचन देता/देती हूँ कि :-

I.....S/O,W/O,D/O Sh.....
r/o.....

do hereby undertake as under:-

मैंने आवेदन-पत्र सं..... दिनांक.....
द्वारा प्लेट सं.....के लिए आवेदन किया है और विवरण-पुस्तिका में निर्दिष्ट
अंतिम प्रमारों का भुगतान कर दिया।

That I have applied for execution of conveyance deed in respect of flat No.....
vide application No.....dated.....and paid the provisional charges
as indicated in the brochure.

मैं प्रमारों में अन्तर, यदि कोई हो, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित किया जाएगा, का
भुगतान करने का वचन देता हूँ और अनुपूरक हस्तांतरण विलेख, यदि आवश्यक हो, को निष्पादित करने का वचन
देता हूँ।

That I undertake to pay the difference in charges, if any, as may be finally determined by the competent
authority and execute the supplementary conveyance deed, if required.

मैं हस्तांतरण विलेख निष्पादन की विवरण-पुस्तिका में उल्लिखित निबन्धनों एवं शर्तों का पालन करने का
वचन भी देता हूँ।

That I further undertake to abide by the terms and conditions as mentioned in the execution of conveyance
deed brochure.

निष्पादक
EXECUTANT

साक्षी
Witness

1.

2.

उत्तरा
UNDERTAKING

(यह बंधन-बंध उस व्यक्ति द्वारा दिया जाए, जिनके पक्ष में हस्तांतरण विलेख का निष्पादन किया जाना है। यह बंधन-बंध 10/-रु. के नॉन-जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर हो और इसे नगरी पब्लिक/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से विधिवत साह्यकित करवाया जाए)

(To be submitted by the person in whose favour execution of conveyance deed is sought on non-judicial stamp paper of Rs. 10/- duly attested by Notary Public/First Class Magistrate)

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी
श्री निवासी
एतद्वारा सत्यनिष्ठा से निम्नलिखित बंधन देता/देती हूँ।
I, S/O, W/O, D/O Sh.
..... Resident of
..... do hereby undertake as under:-

1. कि मैं के फ्लैट ब्लॉक
सं के प्लॉट नं
के संबंध में बकाया लागत और उस पर होने वाले व्याज, रखरखाव प्रभार तथा पूंजीगत सेवा प्रभारों की राशि का दिल्ली
विकास प्राधिकरण को उसके द्वारा मागे जाने पर तत्काल भुगतान कर दूंगा/दूगी।

That I shall pay to Delhi development Authority, immediately on demand such amount as may be demanded by it on account of balance cost and interest thereon, maintenance charges and capitalized service charges in respect of flat No.....in Block No.....PKI.....in.....

2. कि मेरे द्वारा उपर्युक्त किसी राशि का भुगतान न किए जाने की स्थिति में उपर्युक्त सम्पत्ति के संबंध में हस्तांतरण विलेख निष्पादन का फ्री-होल्ड अधिकारों में परिवर्तन अकृत और शून्य माना जाएगा और पट्टाकर्ता/प्राधिकरण को भूमि राजस्व के बकाया के रूप में उसे वसूल करने का हक होगा।

That on my failure to pay any sum referred above the execution of conveyance deed into freehold rights in respect of the above property shall be deemed to be null and void and the lessor/Authority shall be entitled to recover the same as arrears of land revenue.

3. कि यदि दिल्ली विकास प्राधिकरण अथवा किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी समय यह पाया गया कि उपर्युक्त सम्पत्ति या उसके किसी भाग का प्रयोग दिल्ली की मुख्य योजना का उल्लंघन करके गैर-रिहायशी उद्देश्य के लिए किया जा रहा है तो मैं तत्काल उस प्रयोग को बंद कर दूंगा।

That if it is found by Delhi Development Authority or any other local authority at any point of time that the above referred property or any part thereof is being used for non residential purpose, in violation of the master Plan of Delhi, I shall forthwith stop such use.

वर्ष 200 के माह के दिव को दिल्ली/नई दिल्ली में निष्पादित किया गया।

Executed by me at Delhi/New Delhi on this..... day of.....200..

क्रैता
Purchaser

निम्नलिखित की उपस्थिति में :

साक्षी
Witness

In the presence of :

- 1.
- 2.

शपथ पत्र
AFFIDAVIT

(यह शपथ पत्र उस व्यक्ति द्वारा दिया जाए, जिनके पक्ष में हस्तांतरण विलेख का निष्पादन किया जाना है। यह वचन-बंध 10/-रु. के नॉन-जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर हो और इसे नोटरी पब्लिक/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से विधिवत साक्षात्कृत करवाया जाए)।

(To be sworn by person in whose favour execution of conveyance deed is sought on non-judicial stamp paper of Rs. 10 duly attested by Notary Public/First Class Magistrate).

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी
श्री निवासी
एतद्वारा सत्यनिष्ठा से निम्नलिखित वचन देता/देती हूँ ;
I S/O/D/O/W/O Sh
r/o do hereby solemnly affirm and declare
as under:-

1. कि में पाकेट ब्लॉक सं
में फ्लैट नं. का आवंटन दिनांक को श्री
को कर दिया गया है।
That the flat bearing No. Block No. Pkt.
in has been allotted to Sh. on
2. कि आवंटन के अनुसार उपर्युक्त सम्पत्ति का निर्धारित उपयोग केवल रिहायशी है।
That the prescribed use of the aforesaid property, as per the allotment is only residential.
3. कि उपर्युक्त सम्पत्ति के संबंध में अद्यतन मू-भाटल/पूजीगत सेवा प्रभारों/रखरखाव प्रभारों का भुगतान कर दिया गया है।
That up to date ground rent/capitalized service charges/maintenance charges has been paid in respect of the above referred property.
4. कि उपर्युक्त सम्पत्ति के संबंध में हस्तांतरण विलेख के निष्पादन हेतु संलग्न आवेदन-पत्र में दिए गए तथ्य सही एवं सत्य हैं और संलग्न दस्तावेज असली हैं।
That the contents of the accompanying application for execution of conveyance deed in respect of above referred property are true and the documents annexed thereto are genuine.

अभिसाही
DEPONENT

सत्यापन :

VERIFICATION

वर्ष 200.....के.....माह के.....दिन को दिल्ली में सत्यापित किया जाता है कि मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त शपथ-पत्र में दिए गए विवरण सही हैं। इसमें दिया गया कोई भी अंश असत्य नहीं है और इसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

Verified at Delhi this.....day of.....200..... that the contents of the above affidavit are correct to my knowledge and belief. Nothing contained therein is untrue and nothing material is concealed therefrom.

अभिसाही
DEPONENT

(यह क्षतिपूर्ति बंध-पत्र उस व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जाए, जिसके पक्ष में हस्तांतरण विलेख निष्पादित किया जाना है। यह बंध-पत्र 100/-रु. के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर हो और इसे नोटरी पब्लिक/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से साक्षात्कृत करवाया जाए)।

(To be executed by the person in whose favour execution of conveyance deed is required on non-judicial stamp paper of Rs. 100/- and to be attested by Notary Public/First Class Magistrate).

क्षतिपूर्ति बंध-पत्र
INDEMNITY BOND

यह क्षतिपूर्ति बंध-पत्र आज सन्.....के.....मांस के.....

दिन श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री.....

निवासी

.....(जिसे इसमें आगे 'निष्पादक' कहा गया है द्वारा निष्पादित किया गया है। 'निष्पादक' शब्द में उसके वारिस, उत्तराधिकारी, प्रशासक और कानूनी समनुदेशिती शामिल हैं।) यह क्षतिपूर्ति बंध-पत्र भारत के राष्ट्रपति/दिल्ली विकास प्राधिकरण के पक्ष में किया गया है। (जिन्हें आगे 'पट्टाकर्ता' कहा गया है। 'पट्टाकर्ता' शब्द में उसके वारिस, उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और कानूनी समनुदेशिती शामिल हैं।)

This Indemnity Bond is executed on this.....day of.....200.....by
Sh./Smt./Km.....S/O, W/o D/o

R/o.....(hereinafter called the 'Executant' which terms shall include his/her heirs, successors, administrators, and legal assigns in favour of President of India/Delhi Development Authority (hereinafter called the 'lessor' which terms shall include its heirs, successors, executors administrators and legal assigns).

जबकि निष्पादक के पास.....में स्थित ब्लॉक सं.

पॉकेट.....के प्लैट सं.का उसके पक्ष में

दिनांक.....को निष्पादित विक्रय करने के वैध करार के अंतर्गत वास्तविक कब्जा है।

WHEREAS the executant is in physical possession of flat No.....in Block No.....

Pkt.....in.....under a valid agreement to sell dated.....executed in his/her favour.

और जबकि पट्टाकर्ता, उसे किए आवेदन की सत्यनिष्ठा पर विश्वास करते हुए हस्तांतरण विलेख को फ्री-होल्ड अधिकारों में निष्पादित करने के लिए सहमत हो गया है, बशर्ते कि निष्पादक, जैसा कि इसमें आगे निहित है पट्टाकर्ता को होने वाली क्षति की पूर्ति करेगा और उक्त सम्पत्ति के संबंध में किसी भी समय किसी व्यक्ति द्वारा पट्टाकर्ता के विरुद्ध किए गए किसी दावे के कारण पट्टाकर्ता को होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति करेगा।

AND WHEREAS the lessor on the faith and representation made to it has agreed to execute the conveyance deed into freehold rights subject to the Executant giving such indemnity as is hereinafter contained and keep the lessor harmless from any claim which anyone may at any time, institute against the lessor in respect of the above referred property.

अब यह विलेख साक्षी है कि जबकि पट्टाकर्ता उपर्युक्त सम्पत्ति के संबंध में हस्तांतरण विलेख को फ्री-होल्ड अधिकार में निष्पादित करने के लिए सहमत हो गया है और निष्पादक एतद्वारा पट्टाकर्ता से सहमत हो गया है कि वह किसी भी कारणवश उपर्युक्त सम्पत्ति अथवा उसके किसी भाग के संबंध में किसी भी आधार पर किए सभी दावों और मांगों तथा किसी व्यक्ति द्वारा उक्त पट्टाकर्ता के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाहियों और

कार्यवाहियों के कारण होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति करेगा और पट्टाकर्ता को कोई हानि नहीं होने देगा ।

NOW THIS DEED WITNESSES that in consideration of the lessor agreeing to execute the conveyance deed into freehold rights in respect of the above referred property, the executant hereby covenants with the lessor that he will at all times indemnify and keep harmless the said lessor from all claims and demand made and all actions and proceedings taken against the said lessor by anyone in respect of the aforesaid property or any part thereof on any ground whatsoever.

इसके साक्ष्य स्वरूप निष्पादक श्री/श्रीमती/कुमारी..... सुपुत्र/पत्नी/पुत्री
श्री.....ने.....के.....के.....

दिन इस बंध-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं तथा यह बंध-पत्र जारी कर दिया है ।

In witness whereof the Executant Sh./Smt./Km.....

S/o,W/o,D/o Sh.....has signed and delivered this Bond on
this day of200....

निष्पादक
Executant

साक्षी

Witness :

1.

2.

जिस व्यक्ति के पक्ष में हस्तातरण विलेख का निष्पादन किया जाना है, उसके नमूना हस्ताक्षर और पासपोर्ट आकार के फोटो जो मोटरी/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से विधिवत् रूप से साक्ष्यकित हों।

SPECIMEN SIGNATURES AND PASSPORT SIZE PHOTOGRAPHS OF THE PERSON IN WHOSE FAVOUR EXECUTION OF CONVEYANCE DEED IS SOUGHT DULY ATTESTED BY NOTARY/FIRST CLASS MAGISTRATE.

नाम सुपुत्र/पत्नी श्री

आवेदन पत्र सं. सम्पत्ति सं.

कालोनी

Name..... S/o; W/o.....

Application No..... Property No.....

Colony.....

पासपोर्ट आकार की एक फोटो चिपकाए
Affix one Passport size photo

FOR OFFICIAL USE ONLY

1.
(नमूना हस्ताक्षर) (Specimen signature)	(साक्ष्यांकन) (Attestation)
2.
(नमूना हस्ताक्षर) (Specimen signature)	(साक्ष्यांकन) (Attestation)
3.
(नमूना हस्ताक्षर) (Specimen signature)	(साक्ष्यांकन) (Attestation)
4.
(नमूना हस्ताक्षर) (Specimen signature)	(साक्ष्यांकन) (Attestation)

पूँजीगत सेवा प्रसारों के भुगतान का विवरण
DETAILS OF PAYMENT OF CAPITALIZED SERVICE CHARGES.

क्रम सं. Sl. No.	चालान सं. Challan No.	जमा करने की तिथि Date of deposit:	राशि Amt.	अवधि Period	
				से From	तक To

(उक्त भुगतान के प्रमाण के रूप में साक्ष्यांकित प्रतियाँ संलग्न करें।)
(Attested true copies of the proofs of above payments to be enclosed)

FOR OFFICE USE ONLY